International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 9, Issue 5, May - 2019,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

शिम्पी पान्डे, राखी
पीएच-डी शोधार्थी
राजनीति विज्ञान विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय

सार

लोकतंत्र के अंतर्गत विकेन्द्रीकरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विकेन्द्रीकरण में यह माना जाता है कि जो शासित है उन्हें भी सरकार की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। विकेन्द्रीकरण व्यापक स्तर पर अपनाई जाने वाली अवधारणा है जिसे लोकतंत्र विकास और सुशासन से संबंधित माना जाता है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य सरकार के साथ राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सभी स्तरों पर अधिक से अधिक लोगों को संबद्ध बनाता है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण स्थानीय कल्याण के लिए लोगों की अपनी परियोजनाओं को स्वायत्तातपूर्वक आरंभ करने और उन्हें लागू करने तथा संचालित करने के लिए उनके अधिकारों का समर्थन करता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण के मुख्य यंत्र के रूप में देखा गया जिससे लोकतंत्र वास्तव में अधिक प्रतिनिधि और जवाबदेय बनने की दिशा में अग्रसर हुआ।

संकेतशब्द: विकेन्द्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, लोकतंत्र, स्थानीय शासन, पंचायती राज व्यवस्था, सरकार, भागीदारी ।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का लक्ष्य है राजनीतिक प्रक्रिया और निर्णय निर्माण प्रक्रिया के दायरे को व्यापक करना जिससे सहभागिता, भागीदारी बढ़ाई जा सके और शक्तियों का बंटवारा किया जाए जिससे निष्पक्षता, जवाबदेयता तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जा सके। शक्तियों के बंटवारे और हस्तांतरण से ना केवल सहभागिता का ही विकास होता है बल्कि इसके द्वारा शक्तियों, नीतियों, निर्णयों में उदारता आती है। लोकतंत्र शब्द स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के मध्य भेद को स्पष्ट करता है। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण में प्रशासनिक नौकरशाहों की दक्षता, कार्यक्षमता को बढ़ाने हेतु प्रयास किए जाते हैं जो मुख्य रूप से कार्यकारी स्तर से संबंधित है, वहीं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में सरकार के कार्यों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी के विचार को सम्मिलित किया जाता है। यह सभी स्तरों पर समान रूप से पाया जाता है, अतः लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का दायरा बहुत व्यापक है। लोकतंत्र में विकेन्द्रीकरण की महत्ता के कई कारण है, जैसे-लोकतंत्र के लिए यह

आवश्यक है कि सरकार के नीति-निर्माता नीतियों के प्रति जवाबदेय हों और ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए जो संतोषजनक हो। इसके अतिरिक्त 1980 और 1990 के दशक में विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में विकेन्द्रीकरण एक परिवर्तन के रूप में अपनाया गया है, जिससे लोकतंत्र को अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। विकेन्द्रीकरण शब्द भिन्न-भिन्न लोगों द्वारा विभिन्न सकारात्मक मूल्यों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। विकेन्द्रीकरण जनता की आवश्यकताओं को पहचानने और नीति निर्माण और क्रियान्वयन के अंतर्गत उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ाने और उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। यह कमजोर वर्गों को सशक्त बनाता है और उन्हें अन्य अभिजात वर्गों के प्रभुत्व से भी बाहर निकालता है। विकेन्द्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शक्तियाँ निर्वाचित स्थानीय सरकारों को हस्तांरित की जाती है। शक्तियों के हस्तांतरण से आशय है स्थानीय सरकारों को उच्च राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं जैसे स्थानीय चुनाव और भागीदारी प्रक्रिया का संचालन, आर्थिक संसाधनों में वृद्धि की जाती है जैसे हस्तांतरण अथवा कर अधिकार में वृद्धि, इसके साथ ही व्यापक प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। विकेन्द्रीकरण मुख्य रूप से लोकतंत्र, विकास और सु-शासन से संबंधित है। विभिन्न अध्ययन से यह स्पष्ट है कि विकेन्द्रीकरण एक संस्थागत प्रक्रिया का निर्माण करता है जिसके द्वारा नागरिक विभिन्न स्तरों पर स्वयं को संगठित करते हैं और नीति-निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनते हैं। विकासशील देशों में 1980 के पश्चात् विकेन्द्रीकरण एक राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्य के रूप में उभरकर सामने आया है। विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार अधिकांशतः विकासशील देशों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया है और राजनीतिक शक्तियाँ स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित की गई हैं। विकेन्द्रीकरण के समर्थक यह तर्क देते हैं कि इससे दक्षता, कार्यकुशलता, समता, जवाबदेयता और सहभागिता का भी विकास हुआ। भारतीय संविधान पंचायती राज व्यवस्था को स्व-शासन की संस्था के रूप में परिभाषित करता है। इसका अर्थ है इसके अंतर्गत प्रशासकीय, वित्तीय और राजनीतिक हस्तांतरण सम्मिलित है जिससे स्थानीय सरकारें सशक्त होती हैं और अपनी आवश्यकताओं को सामने लाती हैं। किंतु यहाँ प्रशासकीय और वित्तीय विकेन्द्रीकरण सीमित स्तर पर पाया जाता है। स्थानीय सरकारों को कुछ अधिकार तो प्राप्त हैं किंतु अन्य अधिकार राज्य के प्रशासन के अंतर्गत पाये जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सीमित संसाधन ही पाये जाते हैं। इस कारण कई बार प्रासंगिक निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते। यद्यपि 73वें संविधान संशोधन और विभिन्न विकास प्रक्रियाओं के द्वारा भारत मे स्थानीय सरकारों के अंतर्गत गुणात्मक सुधार देखे गए। यह देश के मूलभूत लोकतांत्रिक संस्था के विकास की दिशा में प्रमुख निर्णायक के रूप में सामने आया। इसने प्रतिनिधि लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र की ओर हस्तांतरित किया। इसने स्थानीय स्तर पर नागरिकों को अधिक अवसर उपलब्ध कराए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को उन्नत किया।

विकेन्द्रीकरण योजना बनाने, नीतियों के निर्माण के अधिकार का हस्तांतरण करना है, राष्ट्रीय से उपराष्ट्रीय स्तर तक सार्वजनिक क्रियाकलापों का संचालन करने अधिकार का हस्तांतरण करना है। विकेन्द्रीकरण सरकार की वह संरचना है जिसके द्वार विभिन्न निकायों को स्थानीय स्तर तक कानून के द्वारा विभाजित किया जाता है और राष्ट्रीय से स्थानीय स्तर तक विभेद किया जाता है। एक राजनीतिक विषय है जो शक्तियों के वितरण से संबंधित है। यह योजना, निर्णय-निर्माण अधिकार का केन्द्र से स्थानीय स्तर तक अधिकारों के हस्तांतरण की व्यवस्था है। सैद्धांतिक रूप से, विकेन्द्रीकरण में यह माना जाता है कि जो शासित है उन्हें भी सरकार की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। संरचनात्मक रूप से, विकेन्द्रीकरण शासन की संरचना, संस्थाओं और प्रक्रियाओं की शक्तियों तक लेकर आता है। कार्यात्मक रूप से, यह नीति निर्माण और क्रियान्वयन को इस रूप में स्थापित करता है जिससे समस्या का समाधान उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाए जो इससे सर्वाधिक रूप से प्रभावित हों क्योंकि वो समस्या को भली प्रकार से जानते और समझते हैं। परिचालन के रूप से विकेन्द्रीकरण इस तर्क पर बल देता है कि जनता शासित होने के स्थान पर स्वयं शासन का भाग बने, और नेतृत्व, अभिप्रेरणा और भागीदारी स्वैच्छिक और प्रभावशाली बन जाए। विकेन्द्रीकरण एक विसकेन्द्रण और अंतरण की द्वि-प्रक्रिया है। विकेन्द्रीकरण के अंतर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन सम्मिलित होता है जिससे कार्य सुचारु रूप से चलता रहे। किंतु यह शक्तियों के हस्तांतरण से अलग होता है। हस्तांतरण अधिकारों के वितरण में विश्वास करता है। इसके अंतर्गत शक्तियों के एक अंग से दूसरे अंग को विधायी संसाधन के द्वारा हस्तांतरित किया जाता है।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लक्ष्य

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का उद्देश्य सरकार के साथ राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सभी स्तरों पर अधिक से अधिक लोगों को संबद्ध बनाता है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण स्थानीय कल्याण के लिए लोगों की अपनी परियोजनाओं को स्वायत्तातपूर्वक आरंभ करने और उन्हें लागू करने तथा संचालित करने के लिए उनके अधिकारों का समर्थन करता है। लोकतंत्र की यह पूर्वधारणा होती है कि सामूहिक निर्णय उन लोगों द्वारा बनाये जाए जो इससे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। विकेन्द्रीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोकतंत्र वास्तव में एक प्रतिनिधि और जवाबदेय बनता है, इससे आगे बढ़कर ही लोकतंत्र जीवनशैली और राजनीतिक प्रक्रिया बनता है। वर्तमान में स्थापित विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में भारत सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है जो सफलतापूर्वक कार्यरत है। विकास प्रशासन वर्तमान में सर्वोत्तम साधन बन गया है जिसमें दूरदर्शिता का समग्र दृष्टिकोण पाया जाता है। इसकी प्रभावशाली दो परस्पर संबंद्ध कारकों पर आश्रित है। इनमें से एक है प्रशासनिक व्यवस्था की सामाजिक-आर्थिक संस्थाओं में लक्ष्य-उन्मुख परिवर्तन लाने को सुदृढ़ करना और उसे बनाए रखना और दूसरा कारक है लोगों की भागीदारी के

स्तर और उनकी गुणवत्ता जो नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। समकालीन विकास के विमर्श के अंतर्गत विकेन्द्रीकरण एक प्रचलित और लोकप्रिय शब्द है। एक अवधारणा के रूप में यह अतिव्यापक और विभिन्न दृष्टिकोणों से संबंधित है। 1960 के शुरुआती दशक में विकेन्द्रीकरण की अवधारणा की वकालत विकास प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार को पूरा करने हेतु की गई।

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के विभिन्न आयाम

राजनीतिक विकेन्द्रीकरण

विकेन्द्रीकरण के विभिन्न आयाम के अंतर्गत राजनीतिक विकेन्द्रीकरण महत्वपूर्ण पक्ष है जिसका उद्देश्य नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्णय-निर्माण में अधिक शक्तियाँ प्रदान करता है। राजनीतिक विकेन्द्रीकरण का लक्ष्य नागरिकों या उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिक शक्तियाँ प्रदान करता है जिससे वो लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनते हैं और सार्वजनिक नीतियों पर अपना प्रभाव बनाते हैं।

प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण

प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण या विसकेन्द्रण में प्रबंधकीय कर्तव्यों और निर्णयों को स्थानीय भागों के स्थानांतरण से संबंधित है जिससे सार्वजनिक नीतियों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। यह विसकेन्द्रण के रूप में भी जाना जाता है जिससे शक्तियों को केन्द्र से स्थानीय स्तर तक स्थानांतरित किया जाता है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति और महिलाओं को आरक्षण भी प्रदान करता है। प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण का अर्थ प्रशासन से कार्य दक्षता का विस्तार करना है। परन्तु लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण से भी व्यापक है।

वित्तीय विकेन्द्रीकरण

यह विकेन्द्रीकरण का केन्द्रीय अवयव है इससे स्थानीय सरकार को राजस्व, वित्तीय संसाधन, आर्थिक क्षेत्र में शक्ति प्रदान करता है। वित्तीय विकेन्द्रीकरण निर्वाचन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के वित्तीय क्षेत्र पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित करता है।

भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

भारतीय परिदृश्य में देखें तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली की अपनाया। भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं का प्रार्दुभाव औपनिवेशक शासन के दौरान ही आरंभ हो गया था। लोकतांत्रिक प्रावधानों का उल्लेख भारत सरकर अधिनियम 1909, 1919 और 1935 में किया जा चुका था। संविधान सभा में विचारविमर्श के बाद 1950 में स्वतंत्रता के उपरान्त

भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विकास और वृद्धि की गई। भारतीय राज्य निरंतर आधुनिकता और विकास की दिशा में अग्रसर थे। लोकतंत्र और विकास राष्ट्र-निर्माण की दिशा में अग्रसर रहे। विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यक्रम, नीतियाँ और विकास कार्यक्रमों ने समाज की संरचना को परिवर्तित करने और उसमें वृद्धि करने का कार्य किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबल और सक्षम बनाने हेतु राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाई गई। भारतीय राज्य को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा को अपनाया गया जिसमें ना केवल विकेन्द्रीकरण की अवधारणा सम्मिहित थी बल्कि लोकतांत्रिक स्थानीय शासन भी शामिल था। विभिन्न समितियों की स्थापना की गई जो सरकार की संरचना को विकेन्द्रित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रही। अधिकतम विकेन्द्रीकरण अधिकतम समावेशन, जवाबदेय और उत्तरदायी शासन में सहायक है। विकेन्द्रीकरण शासन नागरिकों की प्रशासन और विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के अवसर प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। यह जन-केन्द्रित विकास में अति महत्वपूर्ण है और इसी कारण विकेन्द्रित शासन नागरिकों के समान अधिकार का आनंद लेने की एक रणनीति है और आर्थिक विकास की मजबूत करने का एक यंत्र है। भारत इस प्रक्रिया से अलग नहीं है। विश्व राजनीति के परिदृश्य में विकेन्द्रीकरण एक प्रभुत्वशाली घटना के रूप में उभरकर सामने आया है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण विसकेन्द्ररण अथवा प्रत्यायोजन नहीं है। यह हस्तांतरण अथवा अंतरण है। विभिन्न विकेन्द्रीकरण के विशेषज्ञ शक्तियों के हस्तांतरण को तीन क्षेत्रें में देखते हैं जिसे सफलता के लिए आवश्यक माना गया है। मेनर उदाहरण हेतु तर्क देते हैं कि विकेन्द्रीकरण में तीन प्रकार का मिश्रण पाया जाना चाहिए जैसे लोकतंत्रिक, वित्तीय और प्रशासनिक। यह राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय विकेन्द्रीकरण विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न रूपों में पाया जाता है। यद्यपि यह विभिन्न क्षेत्रें में भी अलग-अलग हो सकता है। राजनीतिक विकेन्द्रीकरण उप-राष्ट्रीय भागों को अधिकार हस्तांतरण के रूप में देखा जाता है। यह नागरिकों या उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया में अधिक से अधिक शक्तियाँ प्रदान करता है। इस अधिकांशतः बहुलवादी और प्रतिनिधि सरकार कहते हैं, किन्तु यह लोकतांत्रिकरण का समर्थन करता है अपने नागरिकों या प्रतिनिधियों को अधिकार प्रदान करके जिससे नीतियों के निर्माण और उनके कार्यान्वयन पर वो प्रभाव बना सकते हैं। वित्तीय विकेन्द्रीकरण, वित्तीय संसाधनों को हस्तांतरित करने से संबंधित है जो कर अधिकार कर लगाने से संबंधित सरकार के उप-राष्ट्रीय इकाई को प्रदान किए जाते हैं। जिसमें केन्द्रीय सरकार के कार्य भौगोलिक आधार पर प्रशासकीय इकाइयों को हस्तांतरित किए जाते हैं। नागरिकों की प्रतिष्ठा और उनका विकास मूलभूत स्तर के सुशासन पर ही निर्भर करता है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण जमीनी स्तर पर मूल रूप से लोकतत्र को अधिक अर्थपूर्ण बनाने की रणनीति है और साथ ही यह उच्च प्रभावी और पारदर्शी प्रशासन और सेवाओं को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रें तक

पहुँचाने का माध्यम है। स्थानीय प्रशासन का विकेन्द्रीकरण और विकास व्यापक रूप से प्रभावशाली राजनीतिक यंत्र के रूप में जाना जाता है और साथ ही यह भारतीय राज्यों में संतुलित और समान विकास का साधन भी है।

पिछले दो दशकों में विकासशील और परिवर्तनशील देशों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण संस्थागत सुधारों के केन्द्र में स्थित है। विकेन्द्रीकरण के सुधारों की प्रक्रिया विश्व की बहुपक्षीय और द्विपक्षीय शाखाओं द्वारा उत्साहपूर्वक स्वीकार किया गया और इसका समर्थन किया गया। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं व कई अन्य संस्थाओं द्वारा विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहित किया गया और शासन के अंतर्गत विकेन्द्रीकरण को प्रमुख लक्ष्य बनायाव साथ ही विकेन्द्रीकरण के कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों पर निवेश किया। विकास प्रक्रिया में विकेन्द्रीकरण प्रमुख स्थान पर स्थित है। विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया से यह अपेक्षा की जाती है कि विकेन्द्रीकरण के द्वारा समुदायों की सहभागिता बढ़ेगी जिससे समस्या का विश्लेषण, उसकी पहचान, नियोजन व कार्यान्वयन अधिक सुचारू से होगा। इसे विकास को उन्नत करने वाले मंत्र के रूप में कार्य करता है जो सामाजिक बहिष्कार के विषय का उल्लेख किया। यह स्थानीय शासन में उत्तरदायित्व और भागीदारी, नागरिकों की जिम्मेदारी को बढ़ाने और सेवाओं को प्रदान करने को अधिक प्रभावनी बनाने का प्रयास किया। राजनीतिक विकेन्द्रीकरण ने लोकतंत्र को सुदृढ़ता प्रदान की। केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत विभिन्न शक्तियों के प्रयोग की स्पष्ट व्यवस्था की। आधुनिक इतिहास में भारतीय विकेन्द्रीकरण के क्षेत्र में पंचायती राज सुधार अति महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। कुछ राज्यों के द्वारा स्पष्टतः इन सुधारों को अपना लिया गया है जबकि कुछ राज्य मात्र इन सुधारों का भाग बनते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमके द्वारा त्रि-स्तरीय विधायी रूपरेखा की स्थापना की गई। इन संशोधनों को सकारात्मक कार्यवाही के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। जिससे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य एक नये रूप में उभरकर सामने आया और विकास की गति तीव्र हुई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण के मुख्य यंत्र के रूप में देखा गया जिससे लोकतंत्र वास्तव में अधिक प्रतिनिधि और जवाबदेय बनने की दिशा में अग्रसर हुआ। भारतीय राज्य पहले मात्र एक महासंघ के रूप में कार्यरत था जो दो स्तरों पर था- यूनियन (संघ) और राज्य। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया अधिक सुदृढ़ हुई और शक्तियाँ राज्य से स्थानीय निकायों तक स्थानांतरित हुई।लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के अंतर्गत महिलाओं की भूमिका के विषय महत्वपूर्ण संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं की सकारात्मक की अपेक्षा की जाती है और महिला सशक्तिकरण इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके आगमन से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी में

वृद्धि हुई और आरक्षण के द्वारा इसे अधिक सुदृढ़कीण किया गया। भारत में संवैधानिकरण के प्रक्रिया को माध्यम से लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास किया गया है। पंचायतों और नगरपालिकाओं का संवैधानिककरण विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने और स्थानीय संस्थाओं को मजबूती और स्थिरता प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। इससे पंचायतों और नगरपालिकाओं की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया। संविधान ने सभी राज्यों में तीन स्तरीय पंचायतों और नगरपालिकाओं की स्थापना करना और सभी स्तरों पर पाँच वर्षों के नियमित अंतराल पर सीधे चुनाव करारा अनिवार्य बना दिया। पंचायतों और नगरपालिकाओं को जहाँ तक अधिकार और संसाधन सौंपने का सम्बन्ध है, संविधान ने स्व-शासन की संस्था के रूप में घोषणा करने के द्वारा केवल बुनियादी सिद्धान्तों का वर्णन किया है और इन्हें हस्तांतरित करने वाले कार्यों की उदाहरणस्वरूप सूची प्रदान की है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में नेतृत्व का भी प्रमुख स्थान है। सरकार व प्रशासन में नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और एक सफल सरकार की प्रकृति यह स्पष्ट करती है कि इसकी सफलता एक श्रेष्ठ नेतृत्व पर भी निर्भर करता है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सफलता के कारक- गैर-अधिकारी नेतृत्व के अंतर्गत के नागरिक, स्थानीय अधिकारी, और सहकारी संस्थाएँ। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रें का सम्मिश्रण हुआ व दल विहीन सरकार की स्थापना के साथ ही 'रचनात्मक नेतृत्व'का आरंभ हुआ। इसके साथ ही केन्द्र व राज्य के दलीय सरकारों के विरुद्ध एक स्वतंत्र अस्तित्व वाली शाखा की स्थापना पर बल दिया। राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रें में संरचनात्मक नेतृत्व की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संरचना यदि सही प्रकार गठित हो तो यह संस्थागत आधारिक संरचना प्रदान करता है, साथ ही प्रतिनिधित्व और अर्थपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है जो सतत् समावेशी विकास को भी बढ़ाता है। भारत में यह एक महत्वकांक्षी प्रक्रिया है जिसने विकास के कार्यक्रमों में स्थानीय सहभागिता को बढ़ाया है और सभी वर्गों को सम्मिलित किया है। विभिन्न देशों के द्वारा विकेन्द्रीकरण के संदर्भ में विभिन्न परीक्षण किए जा रहे हैं जिसमें विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर विभिन्न परिवर्तन किए गए और शक्तियों का अंतरण और विसकेन्द्रण किया गया। विकेन्द्रीकरण की सफलता और असफलता स्थापित संस्थाओं की प्रकृति, हस्तांतरित अधिकार ओर धन की मात्र, क्षेत्र में स्थित समूहों में अधिकार आवंटन का स्वरूप और नागरिक समाज की भागीदारी पर निर्भर करती है। यह याद रखना उपयोगी है कि यदि विकेन्द्रित सरकार को सावधानी से कार्यान्वित किया जाता है तो यह सामाजिक सम्बद्धता और लोक सशक्तिकरण के लिए सर्वाधिक सक्षम तंत्र प्रणाली है। यदि नियमित चुनाव और महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की इन संस्थाओं

में अनिवार्य भागीदारी को ठोस रूप में रखा जाए तो विकेन्द्रित शासन की नई व्यवस्था स्थायित्व का तत्व प्रदान कर सकती है और आधारभूत स्तर पर भागीदारी प्रक्रिया को व्यापक बना सकती है। सामाजिक और नौकरशाही रूपांतरण के सम्बन्ध में इतनी चिंता की बात नहीं है क्योंकि ग्रामीण और शहरी जनता के अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में अधिक सजग होने की संभावना है। इसलिए योजना प्रक्रिया को लोगों की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। जब इन विषयों पर ध्यान दिया जाएगा तभी सशक्तिकरण प्रक्रिया प्रभावी और सार्थक होगा। विकेन्द्रीकृत शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता पारस्परिक नीति निर्माण करता है जो विकेन्द्रीकृत नीति निर्माण की ओर ले जाती है। इस प्रकार विकेन्द्रीकृत शासन विकास की वैकल्पिक कार्यनीति है जो जनता केन्द्रित, भागीदारी और निचले वर्गों का उत्थान करने वाला विकास तंत्र है। विकेन्द्रीकरण को व्यापक रूप से सुशासन और विकास के संघटक के रूप में देखा जाता है। विकेन्द्रीकरण और लोकतंत्र आर्थिक विकास को सफल बनाने में सहायक हो सकते हैं।पंचायती राज व्यवस्था ने विकेन्द्रीकरण को एक नया आयाम प्रदान किया है और ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय सरकारों को अधिकार प्रदान किया है जो पंचायतों की स्थिति में सुधार ला रहा है साथ ही वह लोकतंत्र, विकास को भी उन्नत कर रहा है। महिलाओं की भागीदारी के क्षेत्र में एक-तिहाई आरक्षण इस बात का प्रतीक है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह सफल प्रयास है जो महिला सहभागिता को बढ़ावा दे रहा है। विकेन्द्रीकरण व्यापक स्तर पर अपनाई जाने वाली अवधारणा है जिसे लोकतंत्र विकास और सुशासन से संबंधित माना जाता है।

संदर्भ सूची

1.Iqbal Narain, 'The Idea of Democratic Decentralisation', *The Indian Journal of Political Science*, Vol. 21, No. 2, (April-June 1960), 184-192.

2. Connerly (etal.), *Making Decentralisation Work: Democracy Development and Security,* (New Delhi:Viva Books, 2011),4.

[3.]Younis Ahmad Sheikh, 'Democratic Decentralisation in India:An Overview', *International Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research*, Vol. 3 (7), (July 2015), 196.

[4.]Prof. Surya Narayan Mishra, 'Democracy, Develpoment and Decentralisation:Rural Development Through Institutional Intervention', *Odisha Review*, (Februray-March 2013), 124.

[5.]Prof. Surya Narayan Mishra, 'Democracy, Develpoment and Decentralisation:Rural Development through Institutional Intervention', *Odisha Review*, (Februray-March 2013), 123.

[6.]Durga Prasad Chhetri, 'Democratic Decentralisation and Social Inclusion in India: Exploring the Linkages', *IOSR Journal of Humanities and Social Sciences,* Volume 11, Issues 1 (May-June 2013), 65-66.

[7.]Durga Prasad Chhetri, 'Democratic Decentralisation and Social Inclusion in India: Exploring the Linkages', *IOSR Journal of Humanities and Social Sciences,* Volume 11, Issues 1 (May-June 2013), 64.

8.L. C. Jain (ed.), *Decentralisation and Local Governance: Essays for George Mathew,* (New Delhi: Orient Longman, 2005), 19.

[9]ibid., 31.

[10]ibid., 11.

[11]ibid., 43.

[12]K.V.Rao, 'Democratic Decentralisation and the Quest for Leadership',*The Indian Journal of Political Science,* Vol. 23, No.1/4, (January-December 1962), 319-323.

[13]Durga Prasad Chhetri, 'Democratic Decentralisation and Social Inclusion in India: Exploring the Linkages', *IOSR Journal of Humanities and Social Sciences,* Volume 11, Issues 1 (May-June 2013), 70.

[14]L. C. Jain (ed.), *Decentralisation and Local Governance: Essays for George Mathew,* (New Delhi: Orient Longman, 2005), 10.

15.Younis Ahmad Sheikh, 'Democratic Decentralisation in India:An Overview', *International Journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research,* Vol. 3 (7), (July 2015), 201-202.